

भारत सरकार  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 239

(15 सितंबर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान मनरेगा योजनाओं का कार्यान्वयन

239. श्रीमती प्रमिला बिसाई:

श्री डी. के. सुरेश:

प्रो. सौगत राय:

श्री पी. सी. गद्दी गौडर:

एडवोकेट ए. एम. आरिफ:

श्री पिनाकी मिश्रा:

श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

श्री एंटो एन्टोनी:

श्री वी. के. श्रीकंदन:

एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत अप्रैल, 2020 से जारी की गई तथा व्यय की गई निधियों तथा पंजीकृत प्रवासी मजदूरों/परिवारों की संख्या तथा प्रदत्त रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण आजीविका की क्षति के दृष्टिगत मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 करने तथा मजदूरी की दर में वृद्धि करने तथा इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त कार्य मदों को शामिल करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 (अप्रैल 2020 से अगस्त 2020) के लिए मनरेगा के लिए व्यय किए गए मजदूरी की राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) मार्च-सितम्बर 2020 के दौरान वर्ष 2019 की तदनु रूप अवधि की तुलना में मनरेगा के अंतर्गत उपयोग किए गए परिवारों तथा मानव दिवसों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य न्यूनतम मजदूरी दरों की तुलना में मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दरों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को कोई विशेष अनुदान देने तथा मनरेगा योजना का विस्तार शहरी क्षेत्रों में करने का है ताकि शहरों में मजदूरों को शामिल किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या मनरेगा के अंतर्गत लॉकडाउन की अवधि के दौरान दिया गया रोजगार लॉकडाउन के पहले की अवधि की तुलना में काफी कम है तथा कई राज्य सरकारों ने यह रिपोर्ट किया है कि उन्हें मनरेगा के अंतर्गत निधियों का आबंटन नहीं प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) : महात्मा गाँधी नरेगा योजना मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड धारक (महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम के अनुसार) परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य इस योजना के अंतर्गत काम की मांग करने के लिए पात्र है। इस योजना में किसी जॉब कार्ड धारक को जॉब कार्ड में प्रवासी श्रमिक/परिवार की श्रेणी में पंजीकृत करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रवासी श्रमिक/परिवार की मांग के आधार पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस प्रवासी श्रमिक/परिवार को जॉब कार्ड जारी किया जा सकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 86,81,928 नए जॉब कार्ड जारी किए गए हैं जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 64,95,823 नए जॉब कार्ड जारी किए गए थे। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (महात्मा गाँधी नरेगा) योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2020 से अगस्त, 2020 तक रिलीज़/खर्च की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध- I** में दर्शाया गया है।

(ख) : जी, नहीं। जहां तक रोजगार की गारंटी के दिनों में वृद्धि का संबंध है, महात्मा गांधी नरेगा में ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रम कार्य करने को इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त एक वित्तीय वर्ष में सूखा/प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित होने की स्थिति में एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों का अतिरिक्त अकुशल मजदूरी रोजगार देने का प्रावधान है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 3(4) के अनुसार राज्य सरकारें इस अधिनियम में गारंटी की अवधि से अतिरिक्त दिनों के रोजगार का प्रावधान अपनी निधियों से कर सकती है।

(ग) : वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 (अप्रैल, 2020 से अगस्त, 2020 तक) में महात्मा गाँधी नरेगा योजना के लिए मजदूरी के अंतर्गत रिलीज़/खर्च का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध- II** में दर्शाया गया है।

(घ) : मार्च, 2020 से सितम्बर, 2020 तक की अवधि और वर्ष 2019 में इसी अवधि में महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत परिवारों को दिए गए रोजगार का ब्यौरा अनुबंध-III(क) और सृजित श्रमदिवसों का ब्यौरा **अनुबंध-III(ख)** में दर्शाया गया है।

(ङ) : महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गाँधी नरेगा) की धारा 6(1) के अनुसार, केंद्र सरकार इसके लाभार्थियों के लिए मजदूरी दर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय हर वर्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए महात्मा गाँधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गाँधी नरेगा कामगारों को मुद्रास्फीति का मुआवजा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय हर वर्ष कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य संसूचक (सीपीआई-एएल) में परिवर्तन के आधार पर मजदूरी दर में संशोधन करता है। यह मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू होती है। तथापि, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अतिरिक्त मजदूरी दे सकता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 23 मार्च, 2020 को अधिसूचित मजदूरी दर **अनुबंध- IV** में दर्शाई गई है।

महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत मजदूरी दर का निर्धारण इस अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार किया जाता है। यह विभाग विभिन्न राज्यों की न्यूनतम मजदूरी दरों का रिकॉर्ड केंद्रीयकृत रूप में नहीं रखता है।

(च) : जी नहीं।

(छ) : राज्य सरकारों की सक्रिय सहायता से केंद्र सरकार अब तक पर्याप्त वित्तपोषण से कार्यों की मांग की पूर्ति कर पाई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 10.09.2020 तक मंत्रालय ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 60,44,098.23 लाख रुपए रिलीज़ किए हैं। वर्ष 2019 और 2020 के बीच इसी अवधि के दौरान सृजित श्रमदिवसों की तुलना का ब्यौरा इस प्रकार है:

दिया गया रोजगार			
माह	2019	2020	वृद्धि
अप्रैल	273940403	141308625	-48%
मई	369515900	568693697	54%
जून	321428565	640708960	99%

जुलाई	194174791	391630385	102%
अगस्त	153052762	238976142	56%

दिनांक 15.09.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 239 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

2020-21 के दौरान महात्मा गाँधी नरेगा राज्यों को रिलीज़ की गई केंद्रीय निधियां			
(अप्रैल, 2020 से अगस्त, 2020 तक) (रुपए लाख में)			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल रिलीज़ (मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक घटक)	कुल व्यय
1	आंध्र प्रदेश	701966.37	660761.9
2	अरुणाचल प्रदेश	19746.12	27241.93
3	असम	105698.58	67811.3
4	बिहार	399250.6	352518.2
5	छत्तीसगढ़	243828.05	222625.3
6	गोवा	91.34	105.14
7	गुजरात	96885.14	78623.67
8	हरियाणा	32021.93	24017.06
9	हिमाचल प्रदेश	52293.32	40203.98
10	जम्मू और कश्मीर	44111.04	59093.77
11	झारखंड	167695.95	91139.34
12	कर्नाटक	324829.67	266000.7
13	केरल	177978.55	141185.8
14	मध्य प्रदेश	420734.17	372348.5
15	महाराष्ट्र	96443.35	78814.13
16	मणिपुर	73756.92	59001.29
17	मेघालय	66294.54	62752.83
18	मिजोरम	32062.87	27427.8
19	नागालैंड	32758.62	14764.27
20	ओडिशा	271910.2	230948.7
21	पंजाब	57043.88	43675.46
22	राजस्थान	484800.84	543786.2
23	सिक्किम	4686.15	4443.99
24	तमिलनाडु	367223.42	339267.7
25	तेलंगाना	235662.88	252302.9
26	त्रिपुरा	61855.85	45136.16
27	उत्तर प्रदेश	634961.48	612831
28	उत्तराखंड	43138.69	29736.05
29	पश्चिम बंगाल	618691.23	543006.2
30	अंडमान और निकोबार	348.89	418.75
31	पुदुच्चेरी	1829.28	1772.45
<b>कुल</b>		<b>5870600</b>	<b>5293764</b>

दिनांक 15.09.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 239 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

2018-19 से 2020-21 के दौरान (अप्रैल, 2020 से अगस्त, 2020 तक) महात्मा गाँधी नरेगा राज्यों को रिलीज़ की गई केंद्रीय निधियां				
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल, 2020 से अगस्त, 2020 तक)
एनईएफएमएस के अंतर्गत वास्तविक रिलीज़ (केवल मजदूरी) (रुपए लाख में)				
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	442990.67	440386.91	511966.37
2	अरुणाचल प्रदेश	मजदूरी व्यय सामग्री शीर्ष के माध्यम से दर्ज किया गया	मजदूरी व्यय सामग्री शीर्ष के माध्यम से दर्ज किया गया	8207.53
3	असम	92618.24	118789.53	73924.95
4	बिहार	210093.80	219418.51	251802.33
5	छत्तीसगढ़	241277.92	188143.58	215699.82
7	गुजरात	73603.19	53706.37	74196.18
8	हरियाणा	21675.43	23543.94	28919.09
9	हिमाचल प्रदेश	52915.23	40582.00	37294.28
10	जम्मू और कश्मीर	मजदूरी व्यय सामग्री शीर्ष के माध्यम से दर्ज किया गया	मजदूरी व्यय सामग्री शीर्ष के माध्यम से दर्ज किया गया	9928.38
11	झारखंड	97075.34	90756.83	91998.68
12	कर्नाटक	180726.64	260747.36	242667.12
13	केरल	203731.44	315288.42	127896.02
14	मध्य प्रदेश	299772.07	338877.29	316682.75
15	महाराष्ट्र	145557.96	104542.59	74640.85
16	मेघालय	56827.31	60048.03	44488.51
17	मिजोरम	34548.74	46244.61	27591.47
18	ओडिशा	156992.76	154930.28	192018.85
19	पंजाब	46046.82	55858.19	41932.81
20	राजस्थान	378724.33	488928.38	452256.91
21	सिक्किम	6941.31	5512.47	3907.77
22	तमिलनाडु	374681.74	440853.17	300647.87
23	तेलंगाना	183259.38	166759.07	204912.23
24	त्रिपुरा	39416.56	57049.47	40477.77
25	उत्तर प्रदेश	409307.93	411445.61	446105.18
26	उत्तराखंड	41439.95	29204.79	34112.01

27	पश्चिम बंगाल	547713.80	589092.57	516907.91
28	पुदुच्चेरी	1391.00	1342.68	1689.40
<b>कुल</b>		<b>4339329.56</b>	<b>4702052.64</b>	<b>4372873.05</b>

अनुबंध-III(क)

राज्य/सं.रा. क्षेत्र-वार परिवारों के उपयोग के आंकड़ें

माह	रोजगार पाने वाले परिवार											
	मार्च		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
आंध्र प्रदेश	2649 850	2673 792	2539 813	2130 236	3069 685	3614 193	2674 320	3930 516	1448 960	2641 979	5936 77	1024 653
अरुणाचल प्रदेश	3475 9	3322 6	3924	3929 0	1129 4	1007 21	4060 7	9733 4	4119 4	6366 1	4805 2	3985 4
असम	9439 92	7681 40	5061 80	2143 8	7127 87	5033 46	6095 01	6006 63	3171 82	4504 31	2714 89	4234 31
बिहार	8245 22	1144 207	8640 18	7313 59	1003 820	1783 198	1052 622	2144 286	5315 45	1059 316	3878 61	6479 87
छत्तीसगढ़	1061 618	1327 483	1067 196	1394 939	1202 083	2161 363	1061 768	1668 235	2527 99	2574 06	1398 73	2168 65
गोवा	193	490	27	390	49	795	112	680	17	260	35	269
गुजरात	2101 11	1913 71	2217 26	7522 4	3455 92	6203 74	2936 91	6434 57	1150 40	1914 10	6464 8	1096 93
हरियाणा	6733 0	8926 4	1639 3	3485 5	2481 8	1723 78	7370 4	1814 02	6942 4	1450 78	6832 4	1146 52
हिमाचल प्रदेश	1729 07	2048 91	1438 55	3057 0	1386 62	1731 04	1633 31	2583 99	1355 93	2545 68	1148 63	2061 53
जम्मू और कश्मीर	2554 91	2802 43	5861 2	1791 8	5766 1	9119 3	3688 6	1342 52	4064 8	1558 20	2823 1	8537 3
झारखंड	5225 08	3870 11	5123 87	2156 31	4837 03	5993 85	4706 49	8949 75	4206 96	7533 34	4076 58	4771 05
कर्नाटक	5977 85	6412 10	6031 78	3749 89	7973 97	1113 733	7816 48	1316 668	7664 78	1071 101	5084 00	7061 39
केरल	8845 75	7348 31	2348 29	4426 1	5047 24	5232 71	6210 16	8723 78	7276 38	8275 69	7342 38	6952 74
मध्य प्रदेश	1080 521	9615 26	1114 152	6371 39	1293 713	2183 494	1350 445	2457 424	9103 76	1839 649	6717 31	1484 270
महाराष्ट्र	5785 24	4050 70	4141 82	1987 01	5457 47	6896 37	5319 60	5525 74	2639 40	3020 64	1941 76	2035 50
मणि	3813	4256	2214	9525	7416	1119	5139	1390	8144	2407	2785	2478

पुर	98	50	5			57	1	59	2	38	45	52
मेघालय	1945 62	2138 52	3310 0	2233 3	4345 5	1043 96	6749 2	2030 91	1261 86	2020 24	1653 41	2025 76
मिजोरम	1505 66	1749 58	1787 99	1967 95	1837 64	1973 82	1905 71	1984 46	1733 54	1985 46	1930 20	1990 86
नागालैंड	1883 53	1673 43	2587 8	3934 9	6822 5	3574 66	8596 6	3135 39	3013 1	2571 19	4205 8	1894 38
ओडिशा	6524 72	7867 86	3823 81	4599 15	5550 40	1167 766	5174 23	1488 655	3688 56	1002 470	3573 88	9175 03
पंजाब	2758 26	2344 50	1442 29	2866 5	2164 48	2413 64	2576 20	3076 32	2550 20	3658 53	2336 38	3899 76
राजस्थान	2717 074	1805 726	2406 682	7205 03	2901 970	3678 206	2996 724	4934 862	1719 921	3471 607	9756 18	1902 362
सिक्किम	2136 0	1756 5	7834	4761	1429 8	1396 7	1324 8	4040 3	1872 3	3101 1	2025 6	2277 4
तमिलनाडु	2933 114	2503 215	2488 706	3052 65	2947 786	2445 866	3103 882	3885 891	3157 997	4115 949	3287 293	3867 215
तेलंगाना	1184 301	4002 61	1492 391	1579 309	1825 225	2531 871	1278 217	1946 282	4923 93	8166 63	3592 82	4089 99
त्रिपुरा	1074 38	2268 20	7474	7978 7	2753 88	4016 97	4235 48	3614 50	3600 20	3689 59	2951 33	3483 04
उत्तर प्रदेश	1131 458	1538 672	8825 79	8842 30	1134 187	4732 685	1896 703	5391 112	1616 746	3109 657	1396 330	1940 456
उत्तराखण्ड	1460 72	2126 21	1077 29	6464 1	8618 8	1738 40	7162 1	2062 41	7918 0	2236 86	9231 4	1835 50
अंडमान और निकोबार	2259	1473	799	616	1343	1965	1384	2554	1497	2333	1344	503
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	44	49	5	4	2	31	0	17	5	12	22	6
पुदुच्चेरी	9358	1104 0	1438	1140 0	4435	2563 1	1321 2	3274 1	2155 3	2827 6	1931 8	2128 3

पश्चि												
म	2396	2088	5527	7112	7938	2534	9032	3732	5012	3111	3944	1807
बंगाल	359	149	58	12	95	220	19	063	73	222	53	949
	<b>2237</b>	<b>2065</b>	<b>1703</b>	<b>1106</b>	<b>2125</b>	<b>3305</b>	<b>2163</b>	<b>3893</b>	<b>1504</b>	<b>2755</b>	<b>1234</b>	<b>1908</b>
कुल	<b>6700</b>	<b>1385</b>	<b>5399</b>	<b>5250</b>	<b>0800</b>	<b>0495</b>	<b>4481</b>	<b>7281</b>	<b>5827</b>	<b>9771</b>	<b>4609</b>	<b>5100</b>

अनुबंध-III(ख)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सृजित श्रमदिवस

माह	सृजित श्रम-दिवस											
	मार्च		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
आंध्र प्रदेश	4196 649	4267 464	3577 5961	2459 7584	5709 5034	6519 1562	3532 6498	7719 6201	1234 4606	2765 9459	5030 578	9001 615
अरुणाचल प्रदेश	3555 8	3359 0	5555 1	6227 96	1704 63	1724 999	6465 94	1479 283	5603 22	1002 783	8158 46	6336 51
असम	1253 703	1020 415	6063 923	1404 17	9732 665	5588 720	7583 927	7477 251	3562 177	5471 265	3480 628	4869 865
बिहार	9055 79	1244 484	1587 4335	1231 3581	1879 7958	3336 0753	1756 6328	3731 6359	8257 029	1787 8835	6343 976	1000 5304
छत्तीसगढ़	1769 202	2299 100	2136 6724	1929 9275	2437 1072	4645 1987	1655 7929	2452 2857	3362 163	2828 142	1741 290	2643 951
गोवा	195	504	173	2229	326	8606	848	6365	181	2465	300	1954
गुजरात	3145 29	2712 89	4441 047	8987 85	7591 299	1324 7548	5059 141	1278 5833	1892 128	3156 932	9219 64	1613 546
हरियाणा	8863 4	1173 00	2475 52	3059 81	3223 26	1946 208	9446 65	2436 092	9050 46	1924 579	8466 00	1339 191
हिमाचल प्रदेश	2044 48	2500 04	2235 617	4159 37	2280 709	2873 475	2731 787	4672 252	2175 017	4524 424	1816 204	3336 200
जम्मू और कश्मीर	3701 36	4029 76	1338 304	2248 00	1263 956	1741 683	6702 37	2618 526	6691 08	3324 674	4579 49	1459 684
झारखंड	6308 19	4559 47	8435 892	2416 357	7754 572	9170 071	6920 494	1403 1902	5600 297	9467 334	5127 983	5750 623
कर्नाटक	1017 286	1063 909	1131 4987	6072 862	1599 0451	2091 2315	1426 2958	2439 5215	1418 2602	1903 7682	9158 433	1152 4910
केरल	9750 00	8025 77	2175 356	2657 18	5398 137	4809 655	6099 770	1033 0244	7958 184	9218 335	6998 946	6301 318
मध्य प्रदेश	1626 799	1477 313	2167 2884	6854 060	2462 4189	4387 9514	2413 2075	4869 2584	1411 0740	3356 0507	1070 4459	2463 8856
महाराष्ट्र	1051 928	7131 64	7140 662	2684 363	1005 7059	1206 2364	9101 169	8449 320	3883 572	4725 350	2872 610	2901 213
मणिपुर	3960 69	4416 09	1955 23	7685 6	6620 1	1226 700	5279 40	1667 853	7661 51	3508 495	3335 062	3361 965
मेघालय	2479 17	2756 41	5073 80	2572 66	6611 37	1531 591	1178 645	3692 589	2164 626	3471 682	2844 318	3393 582
मिजोरम	1505 65	1749 58	2124 668	9839 04	2540 347	2765 387	2194 304	2676 964	1057 427	2780 287	1599 012	2475 320
नागालैंड	1891 75	1683 10	1354 15	1097 74	4934 38	3775 188	6946 99	2647 502	2966 99	2248 649	3617 60	1515 614
ओडिशा	9396 68	1189 345	5881 648	6649 050	9377 628	2251 5879	7326 649	2805 6487	5428 973	1742 0970	5510 238	1534 5407
पंजाब	3242 12	2741 08	1575 900	2660 86	2187 111	2172 956	2718 096	3046 370	2740 310	4423 694	2394 481	4512 841
राजस्थान	3454 120	2206 059	4658 5143	9307 474	6080 2601	6861 2549	5757 6299	1009 3140	2865 9766	6182 0884	1504 9958	2896 7912

								8				
सिक्किम	2277 1	1853 7	1112 78	4878 1	2479 29	2064 84	2250 87	6677 80	2940 98	5002 65	2724 02	3399 83
तमिलनाडु	3159 099	2686 979	2191 0137	1418 434	3256 8090	1866 4902	3052 1979	3759 9168	3050 1832	4270 2140	3067 1409	3266 5145
तेलंगाना	1906 140	6368 21	2736 7467	2202 5018	3782 9696	5991 4879	1671 6488	2648 5152	4770 952	7529 965	3273 994	3386 072
त्रिपुरा	1293 05	2665 54	6379 1	5728 69	2679 949	4468 674	5611 489	4299 318	4489 669	4569 471	3632 861	4410 509
उत्तर प्रदेश	1291 100	1740 204	1567 0838	9094 100	1749 4807	7223 6822	3015 6461	8300 1821	2288 2463	4129 8715	1884 2663	2346 2775
उत्तराखण्ड	1701 12	2535 81	1865 708	8434 22	1415 154	2562 751	1140 317	3135 694	1246 588	3393 266	1437 627	2614 802
अंडमान और निकोबार	2557	1709	6444	4941	2009 3	2414 7	1511 4	2965 5	1745 1	2681 2	1187 2	3858
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	44	51	60	56	28	434	0	358	130	155	464	75
पुदुच्चेरी	1034 2	1187 3	6640	5690 5	2806 0	1624 83	9137 8	2899 96	1666 69	2036 98	1434 35	1508 52
पश्चिम बंगाल	1751 0902 7	3013 5361	1179 3395	1247 8944	1565 3415	4488 2411	1712 9200	6607 0561	9227 815	5194 8471	7353 440	2634 7549
<b>कुल</b>	<b>2019 4268 8</b>	<b>5490 1736</b>	<b>2739 4040 3</b>	<b>1413 0862 5</b>	<b>3695 1590 0</b>	<b>5686 9369 7</b>	<b>3214 2856 5</b>	<b>6407 0896 0</b>	<b>1941 7479 1</b>	<b>3916 3038 5</b>	<b>1530 5276 2</b>	<b>2389 7614 2</b>

दिनांक 15.09.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 239 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-IV

राजपत्र अधिसूचना 2020 के अनुसार राज्य-वार मजदूरी दरें

क्र.सं.	राज्य का नाम	2020-21
1	आँध्र प्रदेश	237
2	अरुणाचल प्रदेश	205
3	असम	213
4	बिहार	194
5	छत्तीसगढ़	190
6	गुजरात	224
7	हरियाणा	309
8	हिमाचल प्रदेश - गैर अनुसूचित क्षेत्र	198
8a	हिमाचल प्रदेश - अनुसूचित क्षेत्र	248
9	जम्मू और कश्मीर	204
10	लद्दाख	204
11	झारखंड	194
12	कर्नाटक	275
13	केरल	291
14	मध्य प्रदेश	190
15	महाराष्ट्र	238
16	मणिपुर	238
17	मेघालय	203
18	मिजोरम	225
19	नागालैंड	205
20	ओडिशा	207
21	पंजाब	263
22	राजस्थान	220
23	सिक्किम	205
23क	सिक्किम (ग्नाथांग, लाचुंग, लाचेन नामक 3 ग्राम पंचायतें)	308
24	तमिलनाडु	256
25	त्रिपुरा	205
26	उत्तर प्रदेश	201
27	उत्तराखंड	201
28	पश्चिम बंगाल	204

29	गोवा	280
30a	अंडमान	267
30b	निकोबार	282
31	दादरा और नगर हवेली	258
32	दमन और दीव	227
33	लक्षद्वीप	266
34	पुदुच्चेरी	256
35	तेलंगाना	237